

## तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच गतरिोध

### प्रलिमिंस के लयि:

आंध्र प्रदेश पुनरगतन अधनियिम 2014, सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र सरकार की भूमिका ।

### मेन्स के लयि:

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच गतरिोध, अंतरराज्यीय वविाद ।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में आंध्र प्रदेश ने **आंध्र प्रदेश पुनरगतन अधनियिम, 2014** के तहत संपत्त और देनदारियों के "न्यायसंगत, उचित एवं समान वविाजन" की मांग करते हुए **सर्वोच्च न्यायालय** के समक्ष याचिका दायर की है ।

## पृष्ठभूमि:

- 2 जून, 2014 को आंध्र प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से को अलग कर **तेलंगाना के रूप में 29वें राज्य का गठन किया गया** ।
- राज्य पुनरगतन अधनियिम (1956) के माध्यम से हैदराबाद राज्य के तेलुगू भाषी क्षेत्रों को आंध्र प्रदेश राज्य के साथ वलिय कर** वसितृत आंध्र प्रदेश राज्य का नरिमाण किया गया ।
- आंध्र प्रदेश पुनरगतन अधनियिम (2014)** ने आंध्र प्रदेश को दो अलग-अलग राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वविाजति किया ।
- अवविाजति आंध्र प्रदेश के वविाजन के आठ वर्ष से अधिक समय के बाद भी दोनों राज्यों के बीच संपत्त और दायतित्वों का आवंटन अस्पष्ट बना हुआ है क्योंकि प्रत्येक राज्य **आंध्र प्रदेश पुनरगतन अधनियिम 2014** के प्रावधानों की व्यक्तगत व्याख्या लागू करता है ।

## संबंधति मुद्दे:

- 12 संस्थानों का अधनियिम में उल्लेख नहीं किया गया है:**
  - इस नरिगम में 245 संस्थान शामिल हैं जिनकी कूल स्थायी संपत्त का मूल्य 1.42 लाख करोड़ रुपए है ।
  - अधनियिम की अनुसूची IX के अंतर्गत **91 संस्थान और अनुसूची X के अंतर्गत 142 संस्थान हैं** ।
  - अधनियिम में उल्लिखित अन्य 12 संस्थाओं का वविाजन भी **राज्यों के बीच वविादास्पद बना हुआ है** ।
- संपत्त और देनदारियों के वविाजन में देरी:**
  - आंध्र प्रदेश ने खेद व्यक्त किया कि तेलंगाना सरकार ने शीला भडि की अध्यक्षता वाली वशिषज्ज समति द्वारा दी गई सफिरशियों को चुनदा रूप से स्वीकार कर लिया था, जिसके परिणामस्वरूप संपत्त और देनदारियों के वविाजन में देरी हुई थी ।
    - समति ने अनुसूची IX के 91 संस्थानों में से 89 के वविाजन के संबंध में सफिरशियों की हैं ।
  - आंध्र प्रदेश का तर्क है कि वविाजन की प्रक्रिया में तेज़ी लाने और इन संस्थानों के वविाजन को अंतिम रूप देने के लयि सफिरशियों को जल्दबाज़ी में स्वीकार कर लिया गया ।
- संपत्त के बँटवारे को लेकर वविाद:**
  - मुख्यालय की संपत्तियों का हिस्सा न बनने वाली संपत्तियों के वविाजन को लेकर वशिषज्ज समति की सफिरशियों को तेलंगाना सरकार ने आलोचना करते हुए कहा कि यह पुनरगतन अधनियिम की भावना के खिलाफ है ।

## केंद्र की भूमिका:

- गृह मंत्रालय (MHA) ने वर्ष 2017 में मुख्यालय परसंपत्तियों के बारे में स्पष्टता प्रदान की ।
- एक एकल व्यापक राज्य उपकरण (जिसमें मुख्यालय और परचालन इकाइयाँ शामिल हैं) जो वशिष रूप से एक स्थानीय क्षेत्र में स्थति है या इसका संचालन एक स्थानीय क्षेत्र में सीमति है, के मामले में गृह मंत्रालय का कहना है कि **इसे पुनरगतन अधनियिम की धारा 53 की उप-धारा (1) के अनुसार स्थान के आधार पर वविाजति किया जाएगा** ।

- अधिनियम केंद्र सरकार को आवश्यकता पड़ने पर हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है।

नोट:

- सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल अधिकार क्षेत्र में राज्यों के बीच विवादों का नरिणय करता है।
  - संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और किसी भी राज्य के बीच या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई भी विवाद सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र है।
- संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद से विवादों पर पूछताछ और सलाह देने, सभी राज्यों के सामान्य विषयों पर चर्चा करने और बेहतर नीति समन्वय हेतु सफ़ारिशें करने की अपेक्षा की जाती है।

## अंतरराज्यीय विवादों को सुलझाने हेतु पहल:

- संविधान द्वारा अंतरराज्यीय परिषद को प्रदान उत्तरदायित्वों (अंतरराज्यीय विवादों के समाधान के संदर्भ में) को केवल कागज़ों में नहीं बल्कि वास्तविकता में पूरा करने की आवश्यकता है।
  - इसी तरह सामाजिक और आर्थिक योजना, सीमा विवाद, अंतर-राज्य परिवहन आदि से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र में राज्यों की चुनौतियों के संदर्भ में चर्चा करने हेतु **क्षेत्रीय परिषदों** को मज़बूत करने की आवश्यकता है।
- भारत विविधता में एकता का प्रतीक है। हालाँकि इस एकता को और मज़बूत करने के लिये केंद्र एवं राज्य सरकारों दोनों को **सहकारी संघवाद के लोकाचार को आत्मसात करने की आवश्यकता है।**

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का फैसला करने के लिये भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्त किसके अंतर्गत है? (2014)

- (a) सलाहकार क्षेत्राधिकार
- (b) अपीलीय क्षेत्राधिकार
- (c) मूल अधिकार क्षेत्र
- (d) रटि क्षेत्राधिकार

उत्तर: (c)

[स्रोत: द हिंदू](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/stalemate-between-telangana-and-ap>